[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R. ____(E). — In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), sub-section (4) and clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fourth Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 12A, after the fourth proviso, the following Note shall be inserted, namely:-

   "Note: For the financial year ending on 31st March, 2019, the individual shall submit e-form DIR-3 KYC or web form DIR-3 KYC-WEB, as the case may be, on or before the 14th October, 2019.".

[F. No. 1/22/2013-CL-V]

(K.V.R. Murty) 30/9/19

Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) ,dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671(E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839(E)	05.07.2017
4.	G.S.R. 51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R. 431(E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615(E)	05.07.2018
8.	G.S.R. 798(E)	21.08.2018
9.	G.S.R. 904(E)	20.09.2018
10.	G.S.R. 339(E)	30.04.2019
11.	G.S.R. 368(E)	16.05.2019
12.	G.S.R. 528(E)	25.07.2019

****

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2019

सा.का.नि......(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2019 है।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क में चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"टिप्पण: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, व्यक्ति 14 अक्तूबर, 2019 को अथवा इससे पूर्व ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी अथवा वेब प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी-वेब, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा"

[फा.सं. 1/22/2013-सीएल.V]

के.वी.आर. मूर्ति
30/9/19

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.259(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.नि.42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि.839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि.51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि.431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि.558(अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि.615(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि.798(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि.904(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि.339(अ)	30.04.2019
11.	सा.का.नि.368(अ)	16.05.2019
12.	सा.का.नि.528(अ)	25.07.2019

*****